प्रो.राजीव कुमार
सदस्य सचिव
Prof. Rajive Kumar
Member Secretary

सत्यमेव जयते

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110070
दूरभाष: 011-26131497
ई मेल : ms@aicte-india.org
ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION
(A Statutory Body of the Govt. of India)
Ministry of Human Resource Development, Govt. of India
Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110067
Phone: 011-26131497
E-mail: ms@aicte-india.org

F.No. : 1-101/PGRC/AICTE/Regulation/2019 | 9530-9537 Dated: /11/2019

Subject: **Request to adhere/implement the provisions prescribed under All India Council for Technical Education (Redressal of Grievance of Students) Regulations, 2019-reg.**

Dear Sir/Madam,

In supersession of the All India Council for Technical Education (Establishment of Mechanism for Grievance Redressal) Regulation, 2012 dated 25th May, 2012, AICTE has been framed All India Council for Technical Education (Redressal of Grievance of Students) Regulations, 2019 which is published in official Gazette of India on 19.11.2019. The said Regulations are available on AICTE web portal. These Regulations are aimed at addressing and effectively resolving grievances of students of AICTE approved Technical Institutions.

2. **These Regulations shall apply to all Technical Institutions recognised or approved by the All India Council for Technical Education as per Section 10(k) of the All India Council for Technical Education Act, 1987.**

3. In view of the above, all AICTE approved institutions are hereby requested to adhere/implement the provisions prescribed under these Regulations.

Yours faithfully,

2.12.19

(Prof. Rajive Kumar)
Member Secretary

The Principals/Directors,
AICTE Approved Institutions

Copy to:

The Regional Officers, AICTE

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 410] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 19, 2019/कार्तिक 28, 1941
No. 410] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 19, 2019/KARTIKA 28, 1941

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

(विद्यार्थियों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2019

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2019

फा. सं. 1–101/पीजीआरसी/अभातशिप/विनियम/2019.–अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (शिकायत निवारण के लिए तंत्र की स्थापना) विनियम, 2012 दिनांक 25 मई, 2012 के अधिक्रमण में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्नलिखित विनियम बनाती है, यथा :–

1. संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता और प्रारंभ :

   क. इन विनियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (विद्यार्थियों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2019 कहा जाएगा।

   ख. ये विनियम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 10(ट) के अधीन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्रदान की गई अथवा अनुमोदित की गई सभी तकनीकी संस्थाओं पर लागू होंगे।

   ग. ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उद्देश्य :

   किसी संस्थान में पहले से नामांकित विद्यार्थियों और साथ ही ऐसे संस्थानों में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों की की कतिपय शिकायतों के निवारण के लिए अवसर प्रदान करना, और इस संबंध में एक तंत्र स्थापित करना।

3. परिभाषा : इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

   (क) "अधिनियम" से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 अभिप्रेत है ;

   (ख) "परिषद्" से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है ;

   (ग) "यूजीसी" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है ;

   (घ) "तकनीकी शिक्षा" से अभिप्रेत, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 2(छ) के अंतर्गत परिभाषित शिक्षा कार्यक्रमों से है।

   (ङ) "तकनीकी संस्था" से अभिप्रेत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम 1987 की धारा 2(ज) के अंतर्गत परिभाषित संस्था से है।

(च) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत केन्द्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित अथवा शामिल संस्थाएं हैं तथा जिसमें यूजीसी अधिनियम 1956 के खण्ड 3 में घोषित की गई मानित विश्वविद्यालय संस्थाएं भी शामिल हैं।

(छ) "पीड़ित विद्यार्थी" से अभिप्रेत किसी ऐसे विद्यार्थी से है, जिसे इन विनियमों के तहत परिभाषित शिकायतों के संबंध में किसी मामले अथवा तत्संबंधी किसी मामले में कोई शिकायत हो।

(ज) "घोषित प्रवेश नीति" से अभिप्रेत संस्थान द्वारा पेशकश किए जा रहे किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए संस्थान की विवरणिका में प्रकाशित की गई किसी ऐसी नीति से है, जिसमें उसके अंतर्गत आने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल हैं।

(झ) "शिकायत" का अभिप्राय, और इसमें निम्नवत् के संबंध में किसी पीड़ित विद्यार्थी(यों) द्वारा की गई शिकायत(तें) शामिल हैं, नामत :-

i. संस्थान की प्रवेश के लिए घोषित प्रवेश नीति के अनुरूप निर्धारित की गई योग्यता के विपरीत प्रवेश दिया जाना ;

ii. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के अन्तर्गत प्रक्रिया में अनियमितताएं ;

iii. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के अनुरूप प्रवेश देने से इंकार किया जाना ;

iv. इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप, संस्था द्वारा विवरणिका का प्रकाशन न किया जाना ;

v. संस्थान द्वारा विवरणिका में ऐसी कोई जानकारी देना जोकि झूठी या भ्रामक हो, और तथ्यों पर आधारित नहीं हो ;

vi. किसी विद्यार्थी द्वारा ऐसे संस्थान मे प्रवेश लेने के प्रयोजन से जमा किए गए किसी दस्तावेज जोकि उपाधि, डिप्लोमा या किसी अन्य पुरस्कार के प्रमाणपत्र के रूप में अथवा अन्य दस्तावेज हों, को अपने पास रख लेना, या वापस करने से इंकार करना ताकि ऐसे किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम के संबंध में विद्यार्थी को किसी शुल्क अथवा शुल्कों, का भुगतान करने हेतु तैयार किया जा सके अथवा मजबूर किया जा सके जिसमें विद्यार्थी अध्ययन नहीं करना चाहता हो ;

vii. संस्था की घोषित प्रवेश नीति में विनिर्दिष्ट निर्धारित राशि से अधिक धनराशि की मांग करना ;

viii. विद्यार्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रवेश में सीटों के आरक्षण के संबंध में वर्तमान में लागू किसी कानून का संस्थान द्वारा उल्लंघन किया जाए ;

ix. ऐसे किसी संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के तहत, अथवा परिषद् द्वारा विहित किन्हीं शर्तो, यदि कोई हों तो, के तहत किसी भी विद्यार्थी हेतु ग्राह्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता का भुगतान नहीं किया जाना अथवा विलम्ब से भुगतान किया जाना ;

x. संस्थान के शैक्षणिक कैलेंडर में, अथवा परिषद् द्वारा विहित ऐसे किसी कैलेंडर में विनिर्दिष्ट अनुसूची से इतर परीक्षाओं के आयोजन में, अथवा परीक्षा के परिणामों की घोषणा में विलंब करना ,

xi. विवरणिका में यथा–उल्लिखित, अथवा संस्थान द्वारा लागू किसी कानून के किसी उपबंध के तहत यथा–अपेक्षित विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान करने में संस्थान द्वारा विफल रहना ;

xii. विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए संस्थान द्वारा अपनाई गई गैर–पारदर्शी अथवा अनुचित पद्धतियां ;

xiii. ऐसे किसी विद्यार्थी को शुल्क के प्रतिदाय में विलंब करना, अथवा इंकार करना जोकि विवरणिका में उल्लिखित समय के भीतर, अथवा जैसा की परिषद् द्वारा अधिसूचित किया जाए, के भीतर प्रवेश त्याग देता है ;

xiv. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक अथवा दिव्यांग श्रेणियों के विद्यार्थियों के कथित भेदभाव की शिकायत ;

xv. प्रवेश दिए जाने के समय जैसा भरोसा दिलाया गया था अथवा प्रदान किए जाना अपेक्षित था के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रदान नहीं किया जाना ; तथा

xvi. विद्यार्थी के उत्पीड़न के अन्य मामले के अलावा जिन पर वर्तमान में लागू किसी कानून के दंडात्मक उपबंधों के तहत कार्रवाई की जानी हो, विद्यार्थी का उत्पीड़न किया जाना अथवा उसे निशाना बनाया जाना।

(ञ) "विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति" (एसजीआरसी) से अभिप्राय इन विनियमों के तहत गठित किसी समिति से है।

(ट) "लोकपाल" (आम्बड्समैन) से अभिप्रेत इन विनियमों के तहत नियुक्त लोकपाल (आम्बड्समैन) से है।

(ठ) "विवरणिका" का अभिप्राय और इसमें ऐसा कोई भी प्रकाशन शामिल है, चाहे वह मुद्रित स्वरूप में अथवा अन्यथा हो, जिसे जनसाधारण (जिसमें ऐसे संस्थान में प्रवेश पाने के इच्छुकों सहित) को एक संस्था से संबंधित निष्पक्ष और पारदर्शी जानकारी प्रदान करने के लिए ऐसे संस्थान अथवा किसी प्राधिकरण अथवा ऐसे संस्थान द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया गया हो ;

(ड) "क्षेत्र" का अभिप्राय एक भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें राज्य शामिल हैं, जिन्हें इन विनियमों को लागू करने हेतु सुकर बनाने के प्रयोजनार्थ ऐसा निर्धारित किया गया हो , नामत, मध्य क्षेत्र जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ शामिल हैं ; पूर्वी क्षेत्र में अंडमान और निकोबार, सिक्किम, ओड़िशा, झारखण्ड, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल शामिल

हैं ; उत्तरी क्षेत्र जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड शामिल हैं ; उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश शामिल हैं ; दक्षिणी क्षेत्र तमिलनाडु, पुदुचेरी शामिल हैं ; दक्षिण मध्य क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना शामिल हैं ; दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल शामिल हैं ; पश्चिमी क्षेत्र में गोवा, महाराष्ट्र, दमण एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली।

(ढ) "राज्य" का अभिप्राय संविधान की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य से है जिसमें संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल हैं ,

(न) "विद्यार्थी" से अभिप्राय किसी ऐसे संस्थान, जिसमें यह विनियम लागू होते हैं, में नामांकित किसी व्यक्ति अथवा नामांकित होने के लिए प्रवेश प्राप्त के इच्छुक व्यक्ति से है ;

4. विवरणिका का अनिवार्य प्रकाशन, इसकी विषयवस्तु तथा मूल्य निर्धारण :

(1) प्रत्येक संस्थान, अपने पाठ्यक्रम या अध्ययन के किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश आरंभ करने की तिथि से कम से कम साठ दिन की समाप्ति से पूर्व अपनी वेबसाईट पर एक विवरणिका प्रकाशित और/अथवा अपलोड करेगा, जिसमें इस तरह के संस्थान में प्रवेश लेने के इच्छुक व्यक्तियों और जन साधारण की जानकारी के लिए निम्नवत् जानकारी अंतर्विष्ट होगी, नामत :

क. प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन के कार्यक्रम के लिए, शिक्षण के घंटों, व्यावहारिक (प्रैक्टिकल) सत्रों और अन्य कार्य के साथ–साथ अध्ययन के कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों की सूची सहित उपयुक्त सांविधिक प्राधिकरण अथवा संस्थान, जैसा मामला हो, द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम की व्यापक रूपरेखा ;

ख. जिस शिक्षा वर्ष हेतु प्रवेश दिए जाने का प्रस्ताव हो, उसके प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन के कार्यक्रम के संबंध में, उपयुक्त सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सीटों की संख्या ;

ग. संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विशेष पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन कार्यक्रम में विद्यार्थी के रूप में प्रवेश के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम और अधिकतम आयु–सीमा सहित शैक्षिक योग्यता और पात्रता की शर्तें ;

घ. इस प्रकार के प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया, जिसमें प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के लिए परीक्षण या परीक्षा के विवरण के संबंध में सभी संगत जानकारी और प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क की राशि शामिल है ;

ड. किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम में अध्ययन करने के लिए ऐसे संस्थान में भर्ती किए गए विद्यार्थियों द्वारा देय शुल्क, जमा राशियों और अन्य प्रभारों के प्रत्येक घटक और ऐसे भुगतानों की अन्य निबंधन और शर्तें ;

च. शास्ति लगाए जाने और संग्रहण किए जाने हेतु नियम/विनियम, विनिर्दिष्ट शीर्ष अथवा श्रेणियां, लगाए जाने वाली शास्ति की न्यूनतम और अधिकतम राशि ,

छ. ऐसे संस्थानों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों द्वारा यदि पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम के पूरा होने से पहले अथवा पूरा होने के बाद दाखिला छोड़ दिया जाता है तो विद्यार्थियों को प्रतिदाय किए जाने वाले शिक्षण शुल्क और अन्य प्रभारों की प्रतिशत, तथा समय सीमा जिसके भीतर प्रतिदाय किया जाएगा तथा पद्धति जिससे विद्यार्थियों को ऐसा प्रतिदाय किया जाएगा ;

ज. शिक्षण सकाय का विवरण : उनकी शैक्षिक योग्यता उनकी नियुक्ति के स्वरूप (नियमित/अभ्यागत/अतिथि) और उसके प्रत्येक सदस्य के शिक्षण अनुभव के साथ ,

झ. भौतिक और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे और छात्रावास और इसके शुल्क, पुस्तकालय, अस्पताल अथवा उद्योग, जहां विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना हो सहित अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी और विशेषरूप से विद्यार्थियों द्वारा संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने पर प्राप्त होने वाली सुविधाओं का ब्यौरा अंतर्विष्ट हो ;

ञ. संस्थान के परिसर के भीतर अथवा बाहर विद्यार्थियों द्वारा अनुशासन बनाए रखने के संबंध में सभी संगत निदेश, और, विशेषरूप से किसी विद्यार्थी अथवा विद्यार्थियों की रैगिंग निषिद्ध करने संबंधी ऐसे अनुशासन को बनाए रखने और उनका उल्लंघन किए जाने के परिणामों और संगत सांविधिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में तैयार किए गए किसी विनियम के उपबंधों का उल्लंघन किए जाने के परिणामों का ब्यौरा अंतर्विष्ट होगा ; तथा

ट. परिषद् द्वारा यथा–विनिर्दिष्ट कोई अन्य जानकारी :

बशर्ते कि, प्रत्येक संस्थान इस विनियम के खंड (क) से (ट) में उल्लिखित खण्ड (में दी गई जानकारी) को अपनी वेबसाईट पर प्रकाशित/अपलोड करेगा, और विभिन्न समाचारपत्रों और अन्य मीडिया के माध्यम से प्रमुखता से प्रदर्शित करते हुए विज्ञापनों के माध्यम से इच्छुक विद्यार्थियों और जन साधारण का ध्यान वेबसाईट पर इस तरह के प्रकाशन की ओर दिलाएगा।

(2) प्रत्येक संस्थान अपनी विवरणिका की प्रत्येक मुद्रित प्रति का मूल्य निर्धारित करेगा, जोकि विवरणिका के प्रकाशन और वितरण की उचित लागत से अधिक नहीं होगी और विवरणिका के प्रकाशन, वितरण या बिक्री से कोई लाभ अर्जित नहीं किया जाएगा।

5. विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) :

(i) पीड़ित विद्यार्थी द्वारा संस्थान के संबंध में की जाने वाली शिकायत, अध्यक्ष, विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) को संबोधित होनी चाहिए।

(ii) प्रत्येक अभातशिप अनुमोदित संस्थान निम्नलिखित संघटन के साथ विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति का गठन करेगा – नामत :

क. महाविद्यालय का प्राचार्य–अध्यक्ष ;

ख. प्राचार्य द्वारा शिक्षण संकाय से तीन वरिष्ठ सदस्यगणों को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा-- तीन सदस्यगणों में से एक महिला सदस्य तथा अन्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से होंगे ;

ग. महाविद्यालय के विद्यार्थियों में से एक प्रतिनिधि, जिसे प्राचार्य द्वारा शैक्षणिक योग्यता/खेलकूद में उत्कृष्टता/सह-पाठ्य क्रियाकलापों में उसके निष्पादन के आधार पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा– विशेष आमंत्रिति।

(iii) सदस्यगणों तथा विशेष आमंत्रिति का कार्यकाल दो वर्षो का होगा।

(iv) बैठक के लिए गणपूर्ति, सभापति सहित, परंतु विशेष आमंत्रिति के अलावा, तीन सदस्यगणों की होगी।

(v) इससे पूर्व शिकायतों पर विचार करते हुए, एसजीआरसी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगी।

(vi) एसजीआरसी अपनी रिपोर्ट को अपनी सिफारिशों सहित, यदि कोई हों तो, के साथ संबन्धित संस्थान को शिकायत प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर भेजेगी तथा इसकी एक प्रति पीड़ित विद्यार्थी को भी भेजी जाएगी।

(vii) विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति के निर्णय से पीड़ित कोई भी विद्यार्थी, निर्णय प्राप्त होने के समय से 15 दिन की अवधि के भीतर लोकपाल को अपनी अपील कर सकता है।

6. लोकपाल की नियुक्ति, सेवाकाल, उसे पद से हटाया जाना और सेवा की शर्तें :

(i) प्रत्येक सम्बद्धता प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विद्यार्थियों की शिकायतो का निवारण) विनियम, 2019 के अंतर्गत विद्यार्थियों की शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल (आम्बड्समैन) नियुक्त करेगा।

(ii) एसजीआरसी के निर्णयों के विरूद्ध सुनवाई करने और निर्णय देने और अपील करने के लिए एक या एक से अधिक अंशकालिक पदाधिकारियों को लोकपाल के रूप में नामित किया जाएगा ;

(iii) ऐसी संस्थाओं के लिए जो डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्र(मों) चला रही हैं तथा तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त है, उनमें संबंधित तकनीकी शिक्षा निदेशालय (डीटीई) विद्यार्थियों की शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल नियुक्त करेंगे।

(iv) ऐसी संस्थाओं के लिए जो किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त नहीं है तथा प्रबन्धन, कम्प्यूटर अनुप्रयोग तथा यात्रा एवं पर्यटन में डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम(मों) चलाती हैं उनके लिए, विद्यार्थियों की शिकायतों के निवारण हेतु, लोकपाल की नियुक्ति परिषद् करेगी।

(v) लोकपाल, सेवानिवृत्त जिला न्यायधीश (डिस्टिक जज) अथवा सेवानिवृत्त कुलपति अथवा प्रोफेसर (जिन्होंने डीन/विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया हो तथा राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय/प्रतिष्ठित के संस्थान में प्रोफेसर के रूप में 10 वर्ष का अनुभव हो) होंगे।

(vi) लोकपाल अपनी नियुक्ति के समय पर, नियुक्ति के समय से एक वर्ष पूर्व, अथवा लोकपाल के रूप में कार्यविधि के दौरान संस्थान के साथ हितों के टकराव में शामिल नहीं होगा ; जहाँ उनका व्यक्तिगत संबंध, व्यावसायिक सम्बद्धता अथवा वित्तीय हित संस्था के प्रति निर्णय की स्वतंत्रता से समझौता करता हो अथवा युक्तियुक्त रूप से समझौता करता प्रतीत होता हो।

(vii) लोकपाल को पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा सत्तर वर्ष की आयु होने तक, इनमें से कार्यभार ग्रहण करने के समय से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाएगा, और वह समान राज्य या क्षेत्र के लिए, जैसा भी मामला हो, एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति होने के लिए पात्र होगा।

(viii) सुनवाई का संचालन करने के लिए, लोकपाल को, यात्रा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति सहित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडो के अनुसार, प्रति दिन, प्रति बैठक के आधार पर शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

(ix) राज्य के लोकपाल के मामले में राज्य सरकार द्वारा और परिषद् (परिषद् द्वारा नियुक्त लोकपाल (आम्बड्समैन) के लिए) द्वारा लोकपाल को इन विनियमों के तहत यथा–परिभाषित कदाचार या दुर्व्यवहार के आरोप सिद्ध होने पर पद से हटाया जा सकता है।

(x) कम से कम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर आसीन न्यायमूर्ति द्वारा की गई जांच के अलावा लोकपाल को पदच्युत करने हेतु कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा, और इस प्रकार की गई जांच में लोकपाल को सुनवाई का एक उचित अवसर भी प्रदान किया जाएगा।

7. लोकपाल के कार्यकरण :–

i. लोकपाल, विद्यार्थी द्वारा इन विनियमों के तहत उपबंधित सभी विकल्पों को अपना लिए जाने के पश्चात् ही पीड़ित विद्यार्थी की अपील की सुनवाई करेंगे।

ii. यद्यपि, परीक्षा के संचालन में अथवा मूल्यांकन की प्रक्रिया में गड़बड़ी के मुद्दों को लोकपाल से संदर्भित किया जा सकता है, तथापि, लोकपाल द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन अथवा अंकों का पुनः योग करने हेतु किसी अपील अथवा आवेदन पर लोकपाल द्वारा सुनवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि भेदभाव की किसी विशिष्ट घटना के परिणामों को प्रभावित करने वाली किसी विशिष्ट अनियमितता को इंगित नहीं किया जाता है।

iii. लोकपाल, कथित रूप से किए गए भेदभाव की शिकायतों की सुनवाई करने के लिए, न्याय– मित्र के रूप में किसी भी व्यक्ति की सहायता प्राप्त कर सकता है।

iv. लोकपाल पीड़ित विद्यार्थी(यों) से अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान करने के लिए सभी प्रयास करेगा।

8. लोकपाल तथा विद्यार्थी शिकायत निवारण समितियों द्वारा शिकायतों के निवारण हेतु प्रक्रिया :

(i) प्रत्येक संस्थान, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करेगा, जहां कोई भी पीड़ित विद्यार्थी शिकायत के निवारण के लिए आवेदन कर सकता है।

(ii) ऑनलाइन शिकायत प्राप्त होने पर संस्थान, पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियों सहित शिकायत को उपर्युक्त विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति को भेजेगा।

(iii) विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति, जैसा भी मामला हो, शिकायत की सुनवाई के लिए एक तिथि निर्धारित करेगी जिसकी जानकारी संस्थान और पीड़ित विद्यार्थी को दी जाएगी।

(iv) पीड़ित विद्यार्थी या तो व्यक्तिगत रूप से पेश हो सकता है अथवा अपना पक्ष रखने के लिए अपने किसी प्रतिनिधि को अधिकृत कर सकता है।

(v) विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति द्वारा समाधान नहीं की गई शिकायतों, को इन विनियमों में उपबंधित समयावधि के भीतर लोकपाल को भेजा जाएगा।

(vi) संस्थान, शिकायतों के शीघ्र निपटान हेतु, लोकपाल अथवा विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति का सहयोग करेंगे ; और ऐसा नहीं किए जाने पर लोकपाल द्वारा परिषद् को जानकारी दी जा सकती है जो इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप कार्रवाई करेगा।

(vii) लोकपाल, दोनों पक्षों को सुने जाने का एक उचित अवसर प्रदान करने के बाद, कार्यवाहियां समाप्त होने पर तत्संबंधी कारणों सहित, इस प्रकार का आदेश पारित करेगा, जैसा वह उपयुक्त समझे, ताकि शिकायत का समाधान हो सके और पीड़ित विद्यार्थी को जैसा उपयुक्त हो, राहत प्रदान की जा सके।

(viii) संस्थान के साथ ही साथ पीड़ित विद्यार्थी को लोकपाल के हस्ताक्षर के तहत जारी की गई आदेश की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी और संस्थान आदेश की प्रति को सामान्य जानकारी के लिए, अपनी वेबसाईट पर भी डालेगा।

(ix) संस्थान, लोकपाल की सिफारिशों का अनुपालन करेगा और संस्थान द्वारा सिफारिशों का अनुपालन नहीं किए जाने के संबंध में लोकपाल, परिषद् को जानकारी प्रदान करेगा।

(x) जहां शिकायत झूठी या तुच्छ पाई जाती है उस स्थिति में लोकपाल शिकायतकर्ता के विरूद्ध उपर्युक्त कार्रवाई किए जाने की सिफारिश कर सकता है।

9. लोकपाल और विद्यार्थी शिकायत निवारण समितियों के संबंध में जानकारी :

संस्थान अपनी वेबसाईट और अपनी विवरणिका में स्पष्ट रूप से इसके क्षेत्राधिकार में आने वाली विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति(यों) तथा अपील किए जाने के प्रयोजनार्थ लोकपाल के संबंध में सभी संगत जानकारियां उपलब्ध कराएगा।

10. अनुपालन नहीं किए जाने के परिणाम :

परिषद् किसी भी तकनीकी संस्थान के संबंध में, जो जानबूझकर इन विनियमों का उल्लंघन करते हैं अथवा बार–बार लोकपाल अथवा शिकायत निवारण समिति, जैसा भी मामला हो, की सिफारिशों का अनुपालन नहीं करते हैं, उनके विरूद्ध निम्नवत् एक अथवा एक से अधिक कार्रवाई कर सकती है, नामत :

(क) तकनीकी संस्थान को प्रदान किए गए अनुमोदन को वापस लेना ;

(ख) परिषद् द्वारा प्रदान की गई अनुदान अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्तता अथवा अर्हता की घोषणा को वापस लेना ;

(ग) तकनीकी संस्थान को आवंटित किसी भी अनुदान को रोका जा सकता है ;

(घ) परिषद् के किसी भी सामान्य अथवा विशेष सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी सहायता को प्राप्त करने हेतु विचार किए जाने के लिए संस्थान को अयोग्य घोषित करना ;

(ड) उपयुक्त मीडिया में प्रमुखता से प्रदर्शित कर और परिषद् की वेबसाइट पर पोस्ट कर संभावित अभ्यर्थियों सहित जनसाधारण को सूचित करना, तथा इस बाबत घोषणा करना की संस्थान में शिकायतों के निवारण के लिए न्यूनतम मानक मौजूद नहीं हैं ;

(च) विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त संस्थान अथवा डीटीई से संबद्धता प्राप्त संस्थान के मामले में, संबद्धता को वापस लेने के लिए संबद्ध विश्वविद्यालय संस्थान अथवा डीटीई सम्बद्धता संस्थान को सिफारिश करना ;

(छ) गैर–अनुपालना के लिए संस्थान के विरूद्ध ऐसी अन्य कार्रवाई करना जो आवश्यक और उचित समझी जाए:

बशर्ते कि, इन विनियमों के तहत परिषद् द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि संस्थान को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए अवसर नहीं दिया गया हो और उसे सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो।

प्रो० राजीव कुमार, सदस्य–सचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./297/19]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

(REDRESSAL OF GRIEVANCE OF STUDENTS) REGULATIONS, 2019

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2019

F.No. 1-101/PGRC/AICTE/Regulation/2019.—In exercise of the power conferred under clause (1) of Section 23 of the All India Council for Technical Education, Act, 1987 (52 of 1987), and in supersession of the All India Council for Technical Education (Establishment of Mechanism for Grievance Redressal) Regulation 2012 dated 25th May, 2012, the All India Council for Technical Education makes the following Regulations, namely:

1. **SHORT TITLE, APPLICATION AND COMMENCEMENT:**

   a. These Regulations shall be called as the All India Council for Technical Education (Redressal of Grievance of Students) Regulations, 2019.

   b. They shall apply to all Technical Institutions recognized or approved by the All India Council for Technical Education as per Section 10(k) of the All India Council for Technical Education Act, 1987.

   c. They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **OBJECTIVE:**

   To provide opportunities for redressal of certain grievances of students already enrolled in any institution, as well as those seeking admission to such institutions, and a mechanism thereto.

3. **DEFINITION: IN THESE REGULATIONS, UNLESS THE CONTEXT OTHERWISE REQUIRES:**

   (a) "Act" means the All India Council for Technical Education Act, 1987;

   (b) "Council" means the All India Council for Technical Education;

   (c) "UGC" means University Grants Commission;

   (d) "Technical Education" means programs of education as defined under section 2(g) of the All India Council for Technical Education, Act, 1987;

   (e) "Technical Institution" means an Institution as defined under section 2(h) of the All India Council for Technical Education, Act, 1987;

   (f) "University" means a university established or incorporated by or under a Central Act or State Act and includes an institution deemed to be university declared as such under section 3 of the UGC Act, 1956.

   (g) "Aggrieved student" means a student, who has any complaint in the matters relating to or connected with the grievances defined under these Regulations.

   (h) "Declared admission policy" means such policy, including the process there under, for admission to a course or program of study as may be offered by the institution by publication in the prospectus of the institution;

(i) "Grievance" means and includes, complaint(s) made by an aggrieved student(s) in respect of the following namely:

i. admission contrary to merit determined in accordance with the declared admission policy of the institution;

ii. irregularity in the process under the declared admission policy of the institution;

iii. refusal to admit in accordance with the declared admission policy of the institution;

iv. non-publication of prospectus by the institution, in accordance with the provisions of these Regulations;

v. publication by the institution of any information in the prospectus, which is false or misleading, and not based on facts;

vi. withholding of, or refusal to return, any document in the form of certificates of degree, diploma or any other award or other document deposited by a student for the purpose of seeking admission in such institution, with a view to induce or compel such student to pay any fee or fees in respect of any course or program of study which such student does not intend to pursue;

vii. demand of money in excess of that specified to be charged in the declared admission policyof the institution;

viii. violation, by the institution, of any law for the time being in force in regard to reservation of seats in admission to different category of students;

ix. non-payment or delay in payment of scholarships or financial aid admissible to any student under the declared admission policy of such institution, or under the conditions, if any, prescribed by the Council;

x. delay by the institution in the conduct of examinations, or declaration of results, beyond the schedule specified in the academic calendar of the institution, or in such calendar prescribed by the Council;

xi. failure by the institution to provide student amenities as set out in the prospectus, or is required to be extended by the institution under any provisions of law for the time being in force;

xii. non-transparent or unfair practices adopted by the institution for the evaluation of students;

xiii. delay in, or denial of, the refund of fees due to a student who withdraws admission within the time mentioned in the prospectus, or as may be notified by the Council;

xiv. complaints of alleged discrimination of students from Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Women, Minority or persons with disabilities categories;

xv. denial of quality education as promised at the time of admission or required to be provided; and

xvi. harassment or victimization of a student,other than cases of harassment, which are to be proceeded against under the penal provisions of any law for the time being in force.

(j) "Student Grievance Redressal Committee" means a Committee constituted under these Regulations;

(k) "Ombudsperson" meansthe Ombudsperson appointed under these Regulations;

(l) "Prospectus"means and includes any publication, whether in print or otherwise, issued for providing fair and transparent information, relating to an institution, to the general public (including to those seeking admission in such institution) by such institution or any authority or person authorized by such institution to do so;

(m) "Region" means a geographical territory, comprising of States, so determined, for the purpose of facilitating enforcement of these Regulations; namely, Central Region: comprising Madhya Pradesh, Gujarat and Chhattisgarh; Eastern Region comprising Andaman and Nicobar, Sikkim, Orissa, Jharkhand, Assam, Manipur, Nagaland, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Arunachal Pradesh, West Bengal; Northern Region comprising Bihar, Uttar Pradesh, Uttarakhand; North West Region comprising Chandigarh, Haryana, Jammu and Kashmir, Ladakh, Delhi, Punjab, Rajasthan, Himachal Pradesh; Southern Region comprising Tamil Nadu, Puducherry; South Central Region comprising Andhra Pradesh, Telengana; South Western Region comprising Karnataka, Lakshadweep, Kerala; and Western Region comprising Goa, Maharashtra, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli.

(n) "State" means a State specified in the First Schedule to the Constitution of India and includes a Union territory;

(o) "Student "means a person enrolled, or seeking admission to be enrolled, in any institution to which these Regulations apply;

4. MANDATORY PUBLICATION OF PROSPECTUS, ITS CONTENTS AND PRICING:

(1) Every institution, shall publish and/or upload on its website, before expiry of at least sixty days prior to the date of the commencement of the admission to any of its courses or programs of study, a prospectus containing the following for the information of persons intending to seek admission to such institution and the general public, namely:

a. the list of programs of study and courses offered along with the broad outlines of the syllabus specified by the appropriate statutory authority or by the institution, as the case may be, for every course or program of study, including teaching hours, practical sessions and other assignments;

b. the number of seats approved by the appropriate statutory authority in respect of each course or program of study for the academic year for which admission is proposed to be made;

c. the conditions of educational qualifications and eligibility including the minimum and maximum age limit of persons for admission as a student in a particular course or program of study, specified by the institution;

d. the process of selection of eligible candidates applying for such admission, including all relevant information in regard to the details of test or examination for selecting such candidates for admission to each course or program of study and the amount of fee prescribed for the admission test;

e. each component of the fee, deposits and other charges payable by the students admitted to such institution for pursuing a course or program of study, and the other terms and conditions of such payment;

f. rules/regulations for imposition and collection of any fines specified heads or categories, minimum and maximum fine;

g. the percentage of tuition fee and other charges refundable to a student admitted in such institution in case such student withdraws from such institution before or after completion of course or program of study and the time within and the manner in which such refund shall be made to that student;

h. details of the teaching faculty, including their educational qualifications, along with their type of appointment (Regular/visiting/guest) and teaching experience of every member thereof;

i. information with regard to physical and academic infrastructure and other facilities including hostel accommodation and its fee, library, hospital or industry wherein the practical training is to be imparted to the students and in particular the amenities accessible by students on being admitted to the institution;

j. all relevant instructions in regard to maintaining the discipline by students within or outside the campus of the institution, and in particular such discipline relating to the prohibition of ragging of any student or students and the consequences thereof and for violating the provisions of any Regulation in this behalf made by the relevant statutory regulatory authority; and

k. any other information as may be specified by the Council:

Provided that an institution shall publish/upload information referred to in items (a) to (k) of this regulation, on its website, and the attention of prospective students and the general public shall be drawn to such publication on the website through advertisements displayed prominently in different newspapers and through other media.

(2) Every institution shall fix the price of each printed copy of the prospectus, being not more than the reasonable cost of its publication and distribution and no profit be made out of the publication, distribution or sale of prospectus.

5. STUDENT GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE (SGRC):

(i) A complaint from an aggrieved student relating to the institution shall be addressed to the Chairperson, Student Grievance Redressal Committee (SGRC).

(ii) Every AICTE approved institution shall constitute Student Grievance Redressal Committee (SGRC) with the following composition, namely:

a. Principal of the College- Chairperson;

b. Three senior members of the teaching faculty to be nominated by the Principal as Members and out of three one member shall be female and other from SC/ST/OBC category;

c. A representative from among students of the College to be nominated by the Principal based on academic merit/excellence in sports/performance in co-curricular activities- Special Invitee.

(iii) The term of the members and the special invitee shall be of two years.

(iv) The quorum for the meeting including the Chairperson, but excluding the special invitee, shall be three.

(v) In considering the grievances before it, the SGRC shall follow principles of natural justice.

(vi) The SGRC shall send its report with recommendations, if any, to the concerned institution and a copy thereof to the aggrieved student, within a period of 15 days from the date of receipt of the complaint.

(vii) Any student aggrieved by the decision of the Student Grievance Redressal Committee may prefer an appeal to the Ombudsperson, within a period of fifteen days from the date of receipt of such decision.

6. APPOINTMENT, TENURE, REMOVAL AND CONDITIONS OF SERVICES OF OMBUDSPERSON:

(i) Each affiliating University, Technical University, Private University, Deemed to be University shall appoint Ombudsperson for redressal of grievances of students under the UGC (Redress of Grievances of Students) Regulations, 2019.

(ii) There shall be one or more part-time functionaries designated as Ombudsperson to hear, and decide on, appeals preferred against the decisions of the SGRCs.

(iii) For institutions which are offering diploma level course(s)and are affiliated to Board of Technical Education(BTE), the concerned Directorate of Technical Education (DTE) shall appoint an Ombudsperson for redressal of grievances of students.

(iv) For Institution which are not affiliated to any University and offering Diploma, Post Diploma, Post Graduate Certificate, Post Graduate Diploma Course(s) in Management, Computer Applications & Travel and Tourism, the Council shall appoint an Ombudsperson for redressal of grievances of students.

(v) The Ombudsperson shall be a Retired District Judge or a retired Vice Chancellor or Professor (who has worked as Dean/HOD and 10 years' experience as Professor at State/Central Universities/Institution of eminence).

(vi) The Ombudsperson shall not, at the time of appointment, during one year before appointment, or in the course of his tenure as Ombudsperson, be in a conflict of interest with the Institution where his/her personal relationship, professional affiliation or financial interest may compromise or reasonably appear to compromise, the independence of judgement toward the Institution.

(vii) The Ombudsperson shall be appointed for a period of three years or until he or she attains the age of 70 years, whichever is earlier, from the date of assuming office, and shall be eligible for reappointment for another one term for the same State or region, as the case may be.

(viii) For conducting the hearings, the Ombudsperson shall be paid a sitting fee, per diem, in accordance with the norms fixed by the Council, and shall, in addition, be eligible for reimbursement of the expenditure incurred on conveyance.

(ix) The State Government, in the case of an Ombudsperson of a State, and the Council (for Council appointed Ombudsperson), may remove the Ombudsperson from office, on charges of proven misconduct or misbehaviour as defined under these Regulations.

(x) No order of removal of Ombudsperson shall be made except after an inquiry made in this regard by a person not below the rank of judge of the High Court in which a reasonable opportunity of being heard is given to the Ombudsperson.

7. FUNCTIONS OF OMBUDSPERSON:

i. The Ombudsperson shall hear appeals from an aggrieved student(s), only after the student has availed all other remedies provided under these Regulations.

ii. While issues of malpractices in the conduct of examination or in the process of evaluation may be referred to the Ombudsperson, no appeal or application for revaluation or re-totalling of answer sheets from an examination, shall be entertained by the Ombudsperson unless specific irregularity materially affecting the outcome of specific instance of discrimination is indicated.

iii. The Ombudsperson may avail assistance of any person, as amicus curiae, for hearing complaints of alleged discrimination.

iv. The Ombudsperson shall make all efforts to resolve the grievances within a period of 30 days of receiving the appeal from the aggrieved student(s).

8. PROCEDURE FOR REDRESSAL OF GRIEVANCES BY OMBUDSPERSONS AND STUDENT GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES:

(i) Each institution shall, within a period of three months from the date of issue of this notification, have an online portal where any aggrieved student may submit an application seeking redressal of grievance.

(ii) On receipt of an online complaint, the institution shall refer the complaint to the appropriate Student Grievance Redressal Committee, along with its comments within 15 days of receipt of complaint on the online portal.

(iii) The Student Grievance Redressal Committee, as the case may be, shall fix a date for hearing the complaint which shall be communicated to the institution and the aggrieved student.

(iv) An aggrieved person may appear either in person or authorize a representative to present his/her case.

(v) Grievances not resolved by the Student Grievance Redressal Committee shall be referred to the Ombudsperson, within the time period provided in these Regulations.

(vi) Institutions shall extend co-operation to the Ombudsperson or the Student Grievance Redressal Committee, in early redressal of grievances; and failure to do so may be reported by the Ombudsperson to the Council, which shall take action in accordance with the provisions of these Regulations.

(vii) The Ombudsperson shall, after giving reasonable opportunities of being heard to both parties, on the conclusion of proceedings, pass such order, with reasons therefore as may be deemed fit to redress the grievance and provide such relief as may be appropriate to the aggrieved student.

(viii) The institution, as well as the aggrieved student, shall be provided with copies of the order under the signature of the Ombudsperson, and the institution shall place it for general information on its website.

(ix) The institution shall comply with the recommendations of the Ombudsperson; and the Ombudsperson shall report to the Council any failure on the part of the institution to comply with the recommendations.

(x) The Ombudsperson may recommend appropriate action against the complainant, where a complaint is found to be false or frivolous.

9. INFORMATION REGARDING OMBUDSPERSONS AND STUDENT GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES:

An institution shall furnish, prominently, on its website and in its prospectus, all relevant information in respect of the Students Grievance Redressal Committee(s) coming in its purview, and the Ombudsperson for the purpose of appeals.

10. CONSEQUENCES OF NON-COMPLIANCE:

The Council shall in respect of any Technical institution, which wilfully contravenes or repeatedly fails to comply with the recommendation of the Ombudsperson or the Student Grievance Redressal Committee, as the case may be, proceed to take one or more of the following actions, namely:

(a) withdrawal of approval granted to the Technical Institution;

(b) withdrawal of declaration of fitness or entitlement to receive grants or financial assistance from the Council;

(c) withholding any grant allocated to the Technical Institution;

(d) declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programs of the Council;

(e) informing the general public, including potential candidates for admission, through a notice displayed prominently in suitable media and posted on the website of Council, declaring that the institution does not possess the minimum standards for redressal of grievances;

(f) recommend to the affiliating University for withdrawal of affiliation, in case of a University affiliated institution or DTE affiliated institution;

(g) such other action as may be deemed necessary and appropriate against an institution for non-compliance:

Provided that no action shall be taken by the Council under these Regulations, unless the institution has been given an opportunity to explain its position and an opportunity of being heard has been provided to it.

Prof. RAJIVE KUMAR, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./297/19]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR